समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

बी0पी0एल0ई0 अपील संख्या–189 / 2016

शशि कुमार ओझा

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार

–::आदेश::–

17.12.2018 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। समाहर्त्ता–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के B.P.L.E CASE No.–61 / 2016 (रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एवं अन्य–बनाम–शशि कुमार ओझा एवं अन्य) में दिनांक–22.09.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उक्त अपील थाना चास, मौजा कमलडीह थाना सं0–31 के खाता सं0–48, प्लॉट सं0–337 रकवा–0.04 एकड़ वनभूमि के अतिक्रमण से संबंधित है। जिसके क्रम में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि समाहर्त्ता–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य को नहीं देखा गया कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है जिसकी जमाबंदी अंचल अधिकारी, चास के द्वारा उनकी पत्नी श्रीमति मैना देवी के नाम खोला गया है। उक्त भूमि पर अपीलकर्त्ता का शांति पूर्वक दखल–कब्जा है और मालिकाना हक से संबंधित सभी वैध कागजात उनके पास मौजूद है। उनके अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दिया गया कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा उक्त भूमि की जमाबंदी रद्ध करने का अनुरोध अंचल अधिकारी, चास से किया गया था, किन्तु अंचल अधिकारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी रद्ध करने से इनकार कर दिया गया जिसकी सूचना उन्होंने अपने कार्यालय पत्रांक–1851 दिनांक–05.10.2016 के माध्यम से वन प्रमण्डल पदाधिकारी को दे थी। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उनके द्वारा खरीद की गई भूमि रैयती है, जो वर्ष 1992 में निबंधित केवाला दस्तावेज के माध्यम से खरीदी गई है। बिक्रेता ने उस भूमि को वर्ष 1986 में मूल खतियानी रैयत से खरीदी थी जिसका नाम कमलडीह मौजा के खेवट सं0–3 / 13 में दर्ज है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता का दखल–कब्जा है जिस पर वह मकान बनाकर रह रहे है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा

Forest Settlement Case No. 55 of 1963-64 में पारित आदेश को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है जिसमें Forest Settlement Officer का स्पष्ट रूप से आदेश है कि "the plot no. 20, 24, 335, 337 & 370 which have been included in the demarcated area of the forest may be released and the map and pillars may be corrected accordingly or they may be acquired under Land Acquisition Act vide order dated 28.11.1964. इसके अतिरिक्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के राँची बेंच के CWJC No. 418 of 1978(R) में भी दिनांक–08.09.1978 को पारित आदेश को भी नजरअंदाज किया गया है। यहाँ तक श्री जी0एस0 मिंज चार्ज ऑफिसर, धनबाद के Remand Case No. 17197/1992 में दिनांक–27.04.2007 को पारित आदेश जिसमें बन्दोबस्त कार्यालय धनबाद को निदेश दिया गया था कि "to carve bata plots out of C.S Plot no. 337, C.S Khata No. 48 of Mouza Kamaldih Thana No. 31 P.S. Chas Anchal Chas Dist. Bokaro (Previously Dhanbad) be recorded in separate khata in the manner indicated below. The name of wife of the appellant is appearing at Sl. No. 4." अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलकर्त्ता के विरूध B.P.L.E Act के अन्तर्गत कार्रवाई करना उचित नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता, बोकारो द्वारा दलील दिया गया कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, चारा के द्वारा सूचना पत्र सं0–748 दिनांक–26.06.2016 के माध्यम से सूचना दी गई थी कि अपीलकर्त्ता द्वारा मौजा कमलडीह के प्लॉट सं0–337, जो अधिसूचित वन भूमि है, जिसे अतिक्रमण किया जा रहा है और उनके अभियुक्तिकरण प्रतिवेदन के आधार पर यह मामला प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्लॉट की भूमि अधिसूचित संरक्षित वन भूमि है जो बिहार सरकार के अधिसूचना सं0–C/F-17014/58-1429R दिनांक–24.05.1958 अन्तर्गत धारा–29 के भारतीय वन अधिनियम से अच्छादित है तथा उक्त प्लॉट सहित अधिसूचना में वर्णित सभी प्लॉटों पर बिहार सरकार (अब झारखण्ड राज्य सरकार) के वन एवं पर्यावरण विभाग का दखल–कब्जा है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त प्रश्नगत वनभूमि चिन्हित करने के पूर्व बिहार सरकार द्वारा वन बन्दोबस्त पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। सभी प्राईवेट पार्टी के कागजातों को देखने के पश्चात वनभूमि को नक्शे में हरित पट्टी के साथ चिन्हित करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं Superintendent of surveyor द्वारा हस्ताक्षर किया गया है तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा–29, 30 एवं 31 का

अनुपालन करते हुए उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा अवैध तरीके से वनभूमि का अतिक्रमण करने के मंशा से वर्ष 1992 में केवाला दस्तावेज बनाई गई है, जबकि अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात प्रश्नगत भूमि वन विभाग के पूर्णतः दखल–कब्जे में है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्य पर आधारित एवं उचित प्रतीत होता है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा Forest Settlement Case No. 55 of 1963-64 में पारित आदेश, जिसमें Forest Settlement Officer का स्पष्ट रूप से आदेश है कि "the plot no. 20, 24, 335, 337 & 370 which have been included in the demarcated area of the forest may be released and the map and pillars may be corrected accordingly or they may be acquired under Land Acquisition Act vide order dated 28.11.1964. एवं श्री जी0एस0 मिंज चार्ज ऑफिसर, धनबाद के Remand Case No. 17197/1992 में दिनांक–27.04.2007 को पारित आदेश, जिसमें बन्दोबस्त कार्यालय धनबाद को निदेश दिया गया था कि "to carve bata plots out of C.S Plot no. 337, C.S Khata No. 48 of Mouza Kamaldih Thana No. 31 P.S. Chas Anchal Chas Dist. Bokaro (Previously Dhanbad) be recorded in separate khata in the manner indicated below. The name of wife of the appellant is appearing at Sl. No. 4." का समुचित रूप से विश्लेषण किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेख में संधारित अंचल अधिकारी, चास के कार्यालय पत्रांक–1851 दिनांक–05.10.2016 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को भेजे गये प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "स्थलीय जाँच के क्रम में यह पाया गया कि मौजा कमलडीह थाना सं0–31 के खाता सं0–48 प्लॉट सं0–337 रकवा–0.04 एकड़ रैयती खाते की भूमि है। जिसकी जमाबंदी दाखिल–खारिज वाद सं0–1151(vii)/2007–08 द्वारा स्वीकृत होकर जमाबंदी सं0–743 में दर्ज है, जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के राँची बेंच का आदेश प्राप्त है।" ऐसे में राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता, बोकारो द्वारा दिए गये दलील का कोई ठोस आधार नहीं है।

वर्णित परिस्थिति में अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं समाहर्त्ता–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के B.P.L.E CASE No.–61/2016 (रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एवं अन्य–बनाम–शशि कुमार

ओझा एवं अन्य) में दिनांक–22.09.2016 को पारित आदेश को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

17.12.18

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Issued Vide
No. 45 Dated 8/1/19

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.28 18:47:54 +05:30
Location: 192.168.1.111